

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2011

496 (3)

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०११

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११

[दिनांक २ मई, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

चिकित्सा, दन्त, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा तथा अन्य सहबद्ध विषयों में उपाधि और उपाधि पत्र स्तर पर व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा विज्ञान का एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 19 OF 2011

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA

ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 2nd May, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th May, 2011].

An Act to establish and incorporate a University of Health Sciences for the purpose of ensuring systematic, efficient and qualitative education in Medical, Dental, Nursing, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yoga, Naturopathy, Siddh, Paramedical and other allied subjects at Degree and Diploma level and for matters connected therewith or incidental thereto.



Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur



Dr Ashok Khandelwal

Hon'ble Vice Chancellor

vcmpmsu@mp.gov.in

Contact - 0761-2670340 Meeting Time 03:00 p.m. to 04:00 p.m.



Dr. Pushpraj Singh Baghel

Registrar

registrampmsu@mp.gov.in

Contact - 0761-2670332